

**Court No. - 3**

**Case :-** WRIT - C No. - 11742 of 2021

**Petitioner :-** Medwin Hospital And Research Centre And Another

**Respondent :-** State Of U.P. And 2 Others

**Counsel for Petitioner :-** Anand Kumar Singh

**Counsel for Respondent :-** C.S.C.

**Hon'ble Surya Prakash Kesarwani,J.**

**Hon'ble Syed Aftab Husain Rizvi,J.**

1. Heard Sri Anand Kumar Singh, learned counsel for the petitioners and Sri Vineet Pandey, Learned Chief Standing Counsel assisted by Sri B.P. Singh Kachhawa, Learned Additional Chief Standing Counsel.

2. This writ petition has been filed praying for the following reliefs:-

*“(I) A writ, order or direction in the nature of certiorari quashing the impugned dated 11.12.2020 passed by the respondent no. 3.*

*(II) A writ, order or direction in the nature of mandamus directing the respondent nos. 2 & 3 to permit the petitioners to run the hospital as a designated hospital L-3 for the treatment of Covid-19 Patients (Corona patients).”*

3. By the impugned order dated 11.12.2020 passed by the respondent no.3 i.e. Chief Medical Officer, Varanasi, the petitioner's hospital has been restrained from giving treatment to Covid patients and to run the hospital as Covid-19 Hospital, on the allegation that the petitioner's hospital has realized higher amount than the prescribed amount from a Covid-19 patient namely Sri Anand Kumar Mishra, who has made a complaint dated 27.08.2020 against the petitioners.

4. It appears that the State Government has issued a Guideline/ Circular dated 10.09.2020, in exercise of powers conferred under the Epidemic Diseases Act 1897 and the Uttar Pradesh Epidemic Disease Covid-19 Regulations 2020. The aforesaid Guidelines/ Circular dated 10.09.2020 issued by the State Government to all the District Magistrates and Chief Medical Officers in the State of Uttar Pradesh, is reproduced below:

संख्या-1805 / पौच-5-2020

प्रेषक,

अमित मोहन प्रसाद,

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।

चिकित्सा अनुभाग-5

लखनऊ दिनांक: 10 सितम्बर, 2020

विषय- प्रदेश में निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 के उपचार हेतु लिए जाने वाले शुल्क के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-1412 / पॉच-5-2020 दिनांक 10.7.2020 (प्रति संलग्न) का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से नीति आयोग, भारत सरकार के सदस्य डा० विनोद पॉल की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा की गयी संस्तुतियों के क्रम में निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 से संक्रमित मरीजों के उपचार हेतु निम्नवत दर निर्धारित की गयी है:-

(1) 'ए' श्रेणी के नगरों में सुपर स्पेशलिटी की सुविधा वाले अस्पतालों को कोविड-19 अस्पताल के रूप में परिवर्तित करने पर मरीजों से निम्नलिखित दर ली जायेगी:-

Hospital rates for per day of admission (in Rs.)			
Category of hospitals	Moderate Sickness	Severe Sickness	Very Server Sickness
	ISOLATION BEDS including supportive care and oxygen	ICU without need for ventilator care	ICU with Ventilator care ( invasive/non - invasive
NABH accredited Hospitals (including entry level)	10,000/- (includes cost of PPE Rs. 1200/-)	15,000/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)	18,000/- (includes cost of PPE Rs. 1200/-)
Non-NABH accredited Hospitals (including entry level)	8,000/- (includes cost of PPE Rs. 1200/-)	13,000/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)	15,000/- (includes cost of PPE Rs. 2000/-)

(2) प्रदेश के 'बी' एवं 'सी' श्रेणी के नगरों में स्थित सुपर स्पेशलिटी के अस्पताल उक्त दरों का क्रमशः 80 प्रतिशत एवं 60 प्रतिशत शुल्क लेंगे।

2- नगरों का वर्गीकरण निम्नवत है:-

श्रेणी-ए-कानपुर, लखनऊ, आगरा, वाराणसी, प्रयागराज, बरेली, गोरखपुर, मेरठ, नोएडा क्षेत्र (गौतमबुद्धनगर) और गाजियाबाद के नगर।

श्रेणी-बी-मुरादाबाद, अलीगढ़, झांसी, सहारनपुर, मथुरा, रामपुर, मिर्जापुर, शाहजहांपुर, अयोध्या, फिरोजाबाद, मुजफ्फरनगर और फर्रुखाबाद के नगर।

श्रेणी-सी-उपरोक्त श्रेणी-ए व बी से भिन्न जनपदों के नगर।

3- यह संज्ञान में आया है कि अभी भी कई निजी चिकित्सालयों द्वारा उक्त निर्धारित दर कन्सन्टेन्सी फीस के अतिरिक्त नर्सिंग केयर, मॉनिटरिंग, विजिट आदि के नाम पर पृथक से अधिक

शुल्क लिया जा रहा है, जो एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 तथा उ० प्र० महामारी कोविड-19 विनियामावली, 2020 के अन्तर्गत दण्डनीय है।

4— अतएव मुझे यह करने का निर्देश हुआ है कि निजी चिकित्सालयों द्वारा कोविड-19 के उपचार हेतु लिए जाने वाले शुल्क में निम्नलिखित सुविधाएं समाहित हैं—

(1) आइसोलेशन बेड (आक्सीजीन एवं सहयोगी सुविधाओं के साथ) हेतु प्रति दिन की दर एन०ए०बी०एच० एकीडेटेड चिकित्सालय के लिए रुपये 10 हजार तथा नॉन-एकीडेटेड चिकित्सालयों के लिए रुपये 8 हजार निर्धारित किये गये हैं, जिसमें कम गम्भीर रोगियों हेतु आक्सीजन एवं अन्य आवश्यक सहयोगी उपचार सम्मिलित हैं।

(2) आई०सी०यू० बेड (बिना वेन्टिलेटर) हेतु प्रति दिन की दर एन०ए०बी०एच० एकीडेटेड चिकित्सालय के लिए रुपये 15 हजार तथा नॉन एकीडेटेड चिकित्सालयों के लिए 13 हजार निर्धारित की गयी है। इस श्रेणी में हाइपरटेन्सन एवं अनियंत्रित डाबबिटीज से पीड़ित को मॉर्बिडिटीज रोगी सम्मिलित हैं—

(3) आई०सी०यू० बेड (वेन्टिलेटर सहित) हेतु प्रतिदिन की दर एन०ए०बी०एच० एकीडेटेड चिकित्सालयों के लिए रुपये 18 हजार तथा नॉन एकीडेटेड चिकित्सालयों के लिए 15 हजार निर्धारित की गयी है। इस श्रेणी में इनवैसिव मैकेनिकल वेन्टिलेशन तथा नॉन इनवैसिव मैकेनिकल वेन्टिलेशन जैसे एच०एफ०एन०सी० एवं BiPAP (Bi-level Positive Airway Pressure) की आवश्यकता वाले रोगियों का उपचार सम्मिलित है।

(4) निजी चिकित्सालयों हेतु निर्धारित शुल्क सभी सुविधाओं को सम्मिलित करते हुए पैकेज है। इस पैकेज में कोविड केयर प्रोटोकाल के अनुसार उपचार प्रदान किये जाने के लिए बेड, भोजन तथा अन्य सुविधाएं जैसे— नर्सिंग केयर, मॉनिटरिंग, इलेजिंग सहित अन्य आवश्यक जाँचें, विजिट/कन्सल्ट, चिकित्सक, परीश्रण आदि की सुविधाएं सम्मिलित हैं।

(5) को-मॉर्बिडिटीज रोगियों का उपचार तथा अल्प अवधि की हीमो डायलिसिस की सुविधा भी पैकेज में सम्मिलित है।

(6) उक्त दर निर्धारण कोविड रोगियों हेतु राष्ट्रीय गाइडलाइन के अनुरूप निर्धारित की गयी है किन्तु प्रयोगात्मक उपचार (जैसे रैमडेसिविर इत्यादि) को इस पैकेज में सम्मिलित नहीं किया गया है।

(7) उक्त दर निर्धारण में कोविड-19 हेतु आर०टी०पी०सी०आर० टेस्ट आदि तथा आई०एल०-6 टेस्ट को सम्मिलित नहीं किया गया है।

(8) उक्त दर निर्धारण पीडियाट्रिक रोगियों के उपर भी लागू है।

(9) गर्भवती महिलाओं का प्रसव (नॉर्मल/सी-सेक्शन) तथा नवजात शिशु के उपचार पर होने वाले व्यय को चिकित्सालय द्वारा आयुष्मान भारत योजना के प्रचलित दर पर अलग से लिया जाएगा। यद्यपि, आयुष्मान भारत के लाभार्थियों से इस संबंध में कोई शुल्क नहीं लिया जायेगा।

5— निजी चिकित्सालयों को कोविड-19 के रोगियों को भर्ती किए जाने हेतु राष्ट्रीय गाइडलाइन्स का अनुपालन किया जाना होगा। उक्त अस्पतालों द्वारा चिकित्सकों एवं अन्य चिकित्सकीय स्टाफ के लिए क्वारंटाइन के संबंध में राज्य सरकार द्वारा जारी किए गए निर्देशों का

अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। क्रिटिकल केयर के लिए जिलों के चिकित्सालयों में बेड की कमी होने की दशा में शासनादेश संख्या-1659/पांच-5-2020, दिनांक 29.08.2020 की शर्तें/प्राविधान लागू होंगे।

6— यह आदेश एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 तथा उ० प्र० महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 के अन्तर्गत जारी किए जा रहे हैं। उक्त आदेश का उल्लंघन एपिडेमिक डिजीज एक्ट, 1897 तथा उ० प्र० महामारी कोविड-19 विनियमावली, 2020 की संगत धाराओं के अन्तर्गत दण्डनीय होगा।

कृपया उक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन निश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय

ह० अप०

10.9.20

(अमित मोहन प्रसाद)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या-1805/1द्वि पांच-5-2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उ० प्र० शासन।
2. अपर मुख्य सचिव, मा० मुख्यमंत्री, उ० प्र० शासन।
3. समस्त मण्डलायुक्त, उ० प्र०।
4. महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
5. निदेशक, संचारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
7. अध्यक्ष, इण्डियन मेडिकल एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
8. अध्यक्ष, नर्सिंग होम एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश।
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

ह० अप०

07.09.2020

(वेद प्रकाश राव)

अनु सचिव।

5. It appears that vide letter dated 16.07.2020 the respondent no.3 i.e. The Chief Medical Officer, Varanasi has granted permission to the petitioner's hospital for treatment of Covid-19 patients and to use 20 beds for L1, 15 beds for L2, 15 beds for L3 Covid-19 patients. It appears that a complaint was made by one Sri Anand Kumar Mishra against the petitioner's hospital for charging some excessive amount for treatment. Consequently

a notice dated 22.08.2020 was issued by the respondent no.3 to the petitioner's hospital asking for explanation and the petitioner submitted a detailed explanation dated 25.08.2020. However, without considering the reply, the impugned order has been passed by the respondent no.3 even without recording that what amount has been found by him to have been charged excessively by the petitioner's hospital from a Covid-19 patient.

6. This Court take judicial notice of the fact that presently there is a spike rise in Covid-19 patients in the State of Uttar Pradesh particularly in districts Varanasi, Lucknow, Allahabad and Kanpur. In Government Hospitals adequate beds are not available to accommodate the Covid-19 patients for their treatment. The Government itself is engaging various private nursing homes and hospitals for treatment of Covid-19 patients. Under the circumstances, the impugned order does not appeal to reason that the petitioner's hospital itself be restrained from giving treatment to Covid-19 patients, merely on the allegation of a patient that some excessive amount was charged by it from him. That apart the impugned order has been passed by the respondent no.3 completely ignoring the explanation submitted by the petitioner.

7. For all the reasons aforesaid the impugned dated 11.12.2020 passed by the respondent no.3 cannot be sustained and is hereby quashed. Learned Chief Standing Counsel prays that liberty may be granted to the respondent no.3 to pass an order afresh in accordance with law, if required under the prevailing situations.

8. We have considered the request of the learned Chief standing Counsel and we accept it. Therefore, liberty is granted to the competent authority to pass an order afresh, in accordance with law, under the Epidemic Diseases Act 1897 and the Uttar Pradesh Epidemic Disease Covid-19 Regulations 2020, if still required under the prevailing situations, after affording opportunity of hearing to the petitioners.

9. Accordingly, the writ petition is allowed to the extent indicated above.

**Order Date :- 19.4.2021**

C. MANI